न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27 / 2020
निर्णय दिनांक 24.12.2021

1. अर्जुनलाल पुत्र भगवान सहाय
2. नानूराम पुत्र गणेश
3. प्रभात पुत्र भगवान सहाय
4. मुरलीधर पुत्र गणेश
   जाति अहीर, निवासी वार्ड नंबर 17, इन्दिरा कॉलोनी के पास, कलालियों की ढाणी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र गोपाल, जाति अहीर, निवासी कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट**

2. नानूराम पुत्र गंगूराम
3. नारायण पुत्र गंगूराम
4. फूली पुत्री गंगूराम
5. बाबूलाल पुत्र गंगूराम
6. भगोती पुत्री गंगूराम
7. मुन्नी पुत्री गंगूराम
8. रूकमा पुत्री गंगूराम
9. हनुमान पुत्र गणेश
10. सतवीर पुत्र स्व. बृजमोहन
11. माली देवी पत्नि बृजमोहन
12. मालीराम पुत्र स्व. भूरा
13. हीरालाल पुत्र स्व. भूरा
14. ज्याना देवी पत्नि स्व. काना
15. गोपाल पुत्र स्व. काना
16. कालू पुत्र स्व. काना
17. जगदीश पुत्र स्व. काना
    समस्त निवासी वार्ड नंबर 17, इन्दिरा कॉलोनी के पास, कलालियों की ढाणी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

.....**परफोर्मा रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 28.11.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 71 / 2019 उनवान बाबूलाल बनाम अर्जुनलाल व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर द्वारा वाद पत्र संख्या 71/2019 बउनवानी बाबूलाल बनाम अर्जुनलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 5123 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि ग्राम चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी 1/7 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात के पूर्वी दिशा में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5119/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5119/3 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 5119/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण मौके पर काश्त कर उपयोग उपभोग में लेकर समस्त लाभ प्राप्त करते आ रहे है, वादीगण की भूमि खसरा नंबर 5123 के पूर्वी ओर खसरा नंबर 5119/1, 5119/2, 5119/3 की भूमि स्थित है जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 की भूमि है, भूमि खसरा नंबर 5123 की पूर्वी सीमा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 आये दिन वादी के खेत की मेड (बाधा) को तोडकर जबरिया कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा वादी को धमकी देते है कि तुम्हारे खसरा नंबर 5123 में हमारी भूमि बची हुई है जिस पर से तुम्हे बेदखल कर, कब्जा कर लेगे तथा आये दिन वादीगण की भूमि में प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश में रहते है एवम् वादीगण को कब्जे से बेदखल करने पर आमादा रहते है। कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 वादीगण की गैर मौजूदगी में वादीगण की सींवडोल को तोडकर जबरिया कब्जा करने की नियत से खेत में प्रवेश करने का प्रयत्न किया गया तथा वादीगण द्वारा इसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 को रोक टोक करने पर वादी से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा धमकी दी कि शीघ्र ही मौका मिलते ही तुम्हारी सींव डोल को क्षतिग्रस्त कर भूमि पर कब्जा करके रहेगे इसी कारणवश वादीगण को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुए, यह अनुतोष चाहा कि वादीगण वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार कर, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न करें, ना ही अनाधिकृत रूप से भूमि में प्रवेश करें, आराजीयात की सींवडोल व सीमा पर कायम पत्थरों को खुर्द–बुर्द न करें, ऐसा ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट–सर्वेन्ट इत्यादि से करावें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 28.11.2019 को निर्णय पारित करते हुए वाद आंशिक स्वीकार कर, तहसीलदार चौमू को निर्देशित किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 5123 रकबा 0.04 हैक्टेयर, ग्राम चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर, सीमाज्ञान करवाये एवम् सीमाज्ञान के चिन्हों पर, प्रतिवादीगण अतिक्रमण न करें। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाये गये है एवम् ना ही सूचना दी गई जो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत् विधि विरूद्व है। अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है एवम् अपीलान्ट्स की बिना जानकारी के ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात के अन्य सहखातेदारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्ट्स के पूर्वज व अपीलान्ट्स पिछले करीब 70 वर्षो से काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट का आराजीयात पर कब्जा न तो पूर्व में रहा है, न ही वर्तमान में है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान न देकर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिक्री दिनांक 28.11.2019 खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए, निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा, अपीलान्ट्स की विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलान्ट्स का उज्र कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तामील नहीं करवाई गई है, पूर्णतया मिथ्या है। अपीलान्ट्स को इस हेतु विधि अनुसार आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की जानी चाहिये थी, जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं की गई है इस कारणवश उक्त उज्र न्यायालय हाजा के समक्ष, विचारणीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जिससे मात्र जीवित पक्षकारों को ही पाबंद किया जा सकता है, मृतक पक्षकारों का कोई औचित्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट्स आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवम् आराजीयात पर काबिज काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण कर, अपीलाधीन निर्णय विधिनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने यह आपत्ति दर्ज कराई कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 काना, प्रतिवादी संख्या 3 कोयली देवी फौत हो चुकी है एवम् प्रतिवादी संख्या 9 बृजमोहन दावा दायरी से करीबन 3 वर्ष पूर्व ही एवम् प्रतिवादी संख्या 12 भूरा करीबन 7 वर्ष पूर्व ही फौत हो चुके है, वाद में मृत व्यक्तियों को ही समायोजित किया जाकर वाद प्रस्तुत किया गया है एवम् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बगैर या पक्षकार बनाये बगैर ही मृत व्यक्तियों को पक्षकार वाद स्वीकारते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मात्र यह तर्क दिया है कि वाद में पारित निर्णय व डिक्री न तो मृत व्यक्तियों के विरूद्व प्रभावी व लागू की जा सकती है तथा ना ही उक्त निर्णय व डिक्री से मृत व्यक्तियों का कोई सम्बन्ध ही है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने इस सन्दर्भ में यह भी निवेदन किया कि वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें मात्र वर्तमान में मौजूद पक्षकारों का ही सन्दर्भ लिया जा सकता है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया था कि वादी द्वारा प्रश्नगत आराजी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

1/7 हिस्सें पर ही अपना नाम बतौर रिकॉर्डेड खातेदार अंकित किया है जबकि उक्त भूमि की पूर्वी दिशा में प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि स्थित है जिससे अपीलार्थी का पक्ष सुना जाना नितान्त आवश्यक था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को वाद दायरी के सन्दर्भ में कोई सूचना ही नहीं दी गई। इस सन्दर्भ में पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय का अवलोकन किया गया जिससे अभिभाषक अपीलार्थी के इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दावा दायरी की दिनांक 11.07.2019 की प्रथम आदेशिका में मात्र प्रतिवादी को तलबी किये जाने का आदेश है किन्तु पत्रावली से यह कही सिद्ध नहीं होता है कि प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये हो। बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने इस सन्दर्भ में यह निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवाई गई है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह कतई जाहिर होता है कि वाद में रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने के कोई आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये हो, ना ही पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय पर ऐसे कोई रजिस्टर्ड नोटिस उपलब्ध है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में अपीलार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है, को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभिभाषक अपीलार्थी ने जाहिर किया है कि वाद में कुछ पक्षकारान् का वाद प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही इंतकाल हो चुका था एवम् कुछ का वाद लम्बित रहने के दौरान इंतकाल हुआ है। इस सन्दर्भ में यद्यपि अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है तथापि इस तथ्य का पुष्टिकरण होना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2019 निरस्त किये जाते है एवम् प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों की पुष्टि करने के पश्चात् एवम् अपीलार्थीगण को उनका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के पश्चात् ही वाद का विधिवत् निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर